

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

वन भवन, न्यू पाली रोड, जोधपुर पिन-342005 ☎ 0291-2721211 (O) ✉ ccf.jdpur.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ () एफसीए/मुवसंजो/2024/7047
निमित्त,

दिनांक : 10/10/24

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन)
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

विषय:- Diversion of 0.1801 ha. Forest land for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Relail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage:114+570.00 to 114+605.00 on khasra No 822/506 At village-Nimbla, Tehsil Shiv, District Barmer, (Rajasthan) (FP/RJ/APPROACH/154227/2022)

संदर्भ:- राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(149)वन/2022/राजकाज रेफरेन्स न. 3027026 दिनांक 09.01.2023 व श्रीमान का पत्र क्रमांक एफ.14(527/46)2022/एफसीए/प्रमुवसं/4479-80 दिनांक 13.01.2023 एवं उप वन संरक्षक, बाड़मेर का पत्रांक दिनांक

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में राजस्थान, सरकार वन विभाग के संदर्भित पत्र के द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु शर्ताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी कर अनुपालना रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण से चाही गयी है। उक्त की अनुपालना में उप वन संरक्षक बाड़मेर के संदर्भित पत्र के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित की है। उप वन संरक्षक बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत निम्नानुसार बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तें	अनुपालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदुरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)

Digitally signed by Raj Kumar Jain
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.10.10 15:38:52 IST
Reason: Approved



PP
16/10

	कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	(प्रति संलग्न)
6	प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
7	प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
8	प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
9	प्रयोक्ता अभीकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जिला कलक्टर बाडमेर से एफ.आर.ए. का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। (मूल प्रति संलग्न)
10	प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदुषण नियंत्रण मण्डल को अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
11	प्रयोक्ता अभीकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
12	प्रयोक्ता अभीकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन पर होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा वर्तमान को समाहित करते हुए राशि वेब पोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा वर्तमान को समाहित करते हुए राशि वेब पोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान से कुल राशि 1,03,600/- (एक लाख तीन हजार छः सौ रुपये) दिनांक 23.02.2023 को ऑनलाईन जमा करवा दिये गये हैं। (चालान की प्रति संलग्न)
13	प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दुसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण	Net present value (NPV) वेब पोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान से कुल राशि 1,20,692 (एक लाख बीस हजार छः सौ बरान्चहे रुपये) दिनांक 23.02.2023 को ऑनलाईन जमा करवा दिये गये हैं। (चालान की प्रति संलग्न)

Signature valid

Digitally signed by Rajkumar Jain
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.10.10 15:38:52 IST
Reason: Approved

	निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय वेबपोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई राशि धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	
14	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
16	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012 एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृत प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दिया गया है (समाचार पत्र की प्रति संलग्न)

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर. के. जैन),
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
जोधपुर
दिनांक

क्रमांक: एफ () एफसीए/मुवसंजो/2024/

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, बाड़मेर को संदर्भित पत्र के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में कार्यानुमति जारी नहीं होने तक आवेदित वनभूमि पर किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नहीं होने देवें एवं स्वीकृति उपरान्त अण्डरटेकिंग की पूर्ण पालना करवाई जाए।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Rajkumar Jain
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.10.10 15:38:52 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक, बाड़मेर

कार्यालय का पता : लीलाघोरा नर्सरी, वन विभाग परिसर, राय कॉलोनी, बाड़मेर
E-mail : def.bmr.forest@rajasthan.gov.in

Phone No.: 02982-220442

क्रमांक : एफ()एफसीए/उवस/2024/10037

दिनांक 26-9-24

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
जोधपुर

विषय : Diversion of 0.1801 ha. Forest land for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Relail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage:114+570.00 to 114+605.00 on khasra No 822/506 At village-Nimbla, Tehsil Shiv, District Barmer, (Rajasthan) (FP/RJ/APPROACH/154227/2022)

संदर्भ : राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(149)वन/2022/राजकाज रेफरेन्स न.3027026 दिनांक 09.01.2023 व अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.14(527/46)2022/एफसीए/प्रमुवस/4479-80 दिनांक 13.01.2023 एवं Senior Reginol Manager, HPCL Ltd. Jodhpur द्वारा प्रेषित इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 19.09.2024

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(149)वन/2022/राजकाज रेफरेन्स न.3027026 दिनांक 09.01.2023 द्वारा उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण डायवर्जन ऑफ 0.1801 हैक्टर ऑफ फोरेस्ट लैण्ड इन फेवर ऑफ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जोधपुर को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Chainage:114+570.00 to 114+605.00 के खसरा नम्बर 822/506 ग्राम निम्बला तहसील शिव जिला बाड़मेर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1801 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन बाबत जारी दिशा निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1801 ha. Forest land for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Relail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage:114+570.00 to 114+605.00 on khasra No 822/506 At village-Nimbla, Tehsil Shiv, District Barmer, (Rajasthan) (FP/RJ/Approach/154227/2022) में वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की है। अतः इस सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट यूजर एजेन्सी से प्राप्त की गयी है, जो श्रीमान जी को निम्नानुसार आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिवट पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जिला कलक्टर बाड़मेर से एफ.आर.ए. का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। (मूल)

10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदुषण नियंत्रण मण्डल को अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
11	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगा।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
12	प्रयोक्ता अभिकरण के वय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन पर होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान को समाहित करते हुए राशि वेब पोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान को समाहित करते हुए राशि वेब पोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान से कुल राशि 1,03,600/- (एक लाख तीन हजार छः सौ रुपये) दिनांक 23.02.2023 को ऑनलाईन जमा करवा दिये गये हैं। (चालान की प्रति संलग्न)
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय वेबपोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा कराया जायेगा। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई राशि धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	Net present value (NPV) वेब पोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान से कुल राशि 1,20,692 (एक लाख बीस हजार छः सौ बरान्चहै रुपये) दिनांक 23.02.2023 को ऑनलाईन जमा करवा दिये गये हैं। (चालान की प्रति संलग्न)
14	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
16	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012 एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृत प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दिया गया है (समाचार पत्र की प्रति संलग्न)

उपरोक्तानुसार प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट की 3 प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार 3 प्रति।

[Handwritten Signature]
दिनांक : 8/10/24

(सविता चौहान I.F.S.)
उप वन संरक्षक
बाड़मेर

मुख्य वन संरक्षक
क्रमांक 4016
दिनांक 08/10/24
जोधपुर

क्रमांक: एफ () एफसीए/उवसं/2024/

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर।
3. जिला कलक्टर बाड़मेर।
4. सहायक वन संरक्षक बाड़मेर।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी शिव को दि जाकर लेख है कि आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं होने देना सुनिश्चित करावे।

1
उप वन संरक्षक
बाड़मेर

Online Help/Query

Status of the Payment made by User Agencies

Help
 Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.
 CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;
 To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
 Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer. Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.
 Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made. Paid : This icon shows that the payment has been made.
 Proposals received on or after 15th July 2014 All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :
 Select User Agency :
 Payment Status : Paid Unpaid All
 Bank Name : Mode of Payment :
 Transaction Date (From) : Transaction Date (To) :
 Enter value for Search :
 SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/Approach/154227/2022 (./viewreport.aspx?pid=FP/RJ/Approach/154227/2022) "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chalnage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village-Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer(Rajasthan)"	APPROACH154227202216309	09 Jan 2023	CA: 103600/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety: 0/- Adol: 0/- Zone: 0/- PA: 0/- NPV: 120692/- Total :224292/-	<input checked="" type="radio"/> Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 13 Feb 2023 Union Bank Of India NEFT/RTGS (Challan) 14 Feb 2023 24 Feb 2023	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/060220230811153863_FPRJApproach1542272022_User_Fu Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=APPROACH154227202

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)
 (HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)
 (HTTPS://DATA.GOV.IN/)
 (HTTPS://INDIA.GOV.IN)
 (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

 (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
 Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (AccessibilityStatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)
 For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
बाड़मेर

दिनांक:.....

विषय :- Diversion of 0.1801 ha. forest land for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village-Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer, Rajasthan. (FP/RJ/Approach/154227/2022)

संदर्भ :- राजस्थान सरकार के पत्रांक प.1 (149) वन/2022 जयपुर दिनांक 09.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष पालन सहित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र. सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator is land) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator is land) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रमाण पत्र पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

(सविता देहिया, IFS)

उप वन संरक्षक
बाड़मेर

Duly Certified Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

<p>12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का इस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा की जायेगी।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण) हेतु आवश्यक धनराशि CA Amount Rs. 1,03,600/- CHEQUE: 33338158 PIF NO. 1508570124227163 DATE: 23.02.2023 के कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि फालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।</p>
<p>13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 08.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।</p>	<p>यूजर एजेंसी द्वारा निम्नानुसार NPV की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। विवरण नियमानुसार है:- NPV Amount Rs. 1,29,692/- CHEQUE: 33338158 PIF NO. 1508570124227163 DATE: 23.02.2023 के कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि फालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।</p>
<p>14. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जायेगी।</p>	<p>सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।</p>
<p>15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।</p>	<p>राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।</p>
<p>16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की मालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित कराये एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।</p>	<p>जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न है।</p>

Place: Jodhpur

(सविता दोहरिया, IFS)
 उप वन संरक्षक
 बाड़मेर

Duly Constituted Attorney
 For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
 Chief Financial Manager-Retail

Name:
 Office Seal & Signature:
 Designation:

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (149) वन/2022

जयपुर, दिनांक-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय- Diversion of 0.1801 ha. forest land for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village-Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer, Rajasthan. (FP/RJ/Approach/154222/2022)

संघर्ष-आपका पत्रांक एफ 14 (527/46)2022/एकत्रीए/प्रमुखस/3983 दिनांक 29.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत प्राय: नीचला, तहसिल-शिव के एन.एच 68 (पुराना एन.एच. 15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 के खसरा नम्बर 822/506 में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं विकास हेतु 0.1801 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोन्मुख प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1801 ha. forest land for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village-Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer, Rajasthan की वैधानिक स्वीकृति बिना किसी कृष के पालन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्थितियाँ एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त प्रयास किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाये। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/पन्थेय के आस-पास फव्वारों/स्टाक के लिए किसी भी प्रकार का काम नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाक को एंटी-मैस/केरोसिन तेल उपयुक्तता भी जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर कटवने या धरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं विकास मार्ग के दोनों ओर विस्तृत घड़े स्थानों पर डी गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग कृष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जायेगा। यह हस्ताक्षरेण क्षतिपूर्ति बुझायेण के अतिरिक्त होगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, वैधानिक स्वीकृति की मांगना के साथ एकआपक, सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदनुषंग ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण, वैधानिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रयुक्त निबंधन सम्बल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा राज्य से 10 कृषों का पालन होने पर 103 कृषों तथा 10 से अधिक कृषों का पालन होने पर पालन किये जाने वाले कृषों का परत गुना संख्या में कृषों का बुझायेण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान वनों को सुरक्षित करते हुये एडि वेनपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सूचित ई-पालन द्वारा जमा की जावेगी।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1985 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 686 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2910-CAMPA दिनांक 09.08.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित शर्तों जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ क्षतिपूर्ति बुझायेण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तहत विकास के उपरोक्त OSMFWP द्वारा सूचित ई-पालन द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरोक्त OSMFWP द्वारा जमा की गई अनुरोधित का बैंक पालन/पुटीआर संख्या/एईएफवी नम्बर की प्रमाणीति की जायेगी।

कार्यालय पता- वन विभाग कार्यालय, कसरा नम्बर 8324, उत्तरी राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम प्राधिकरण (APCCF) जयपुर।
दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in
Command/secy. Forest/Ajay-
R&K/Ref No. : 3027026

Duly Consulted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Chief Executive Manager-Retail

(सविता शर्मा, TFS)
उप वन संरक्षक
बाड़मेर



अनुपालना अख्य (जिसमें जंगल की गई राशि का मद्दतार खिचरण छो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विशिष्ट स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

14. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का कलनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.पी. की दरों में गंभीरता होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से मानवीय शीन दिखानक द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की फलना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को पुनः एजेंसी तिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के रजक्रीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

भवदीय,


(**पंकटेश शर्मा**)
साइन सचिव

प्रसिद्धि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीपंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर वन संरक्षण की-ब्लॉक, अरण्य भवन आलवा, जयपुर।
3. अति, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुधमा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक जोधपुर।
5. जिला कलेक्टर, बाड़मेर।
6. उप वन संरक्षक, बाड़मेर।
7. Senior Regional Manager, Hindustan Petroleum Corporation Ltd, Jodhpur retail, Bhagat ki Kothi Diesel Shed Road, Jodhpur.
8. रक्षित पत्रावली।

(**सुरेश अग्रवाल**)
विभागाधिकारी, वन

Duly Authorized Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.


Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

Signature Not Verified

(**सविता शर्मा, IFS**)

कार्यालय पता- वन विभाग कार्यालय, कक्षा नम्बर 0324, उत्तरी
दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads_forest@rajasthan.gov.in
Digitally signed by Venkatesh Sharma
Designation: Additional Principal
Chief Conservator of Forest (APCCF)
Date: 2023.01.09 11:23:54 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref No. : 3027026

उप वन संरक्षक
बाड़मेर



UNION BANK OF INDIA
SECTION 22, POHINI
MUMBAI METROPOLITAN CO-OPERS
SECTOR 22 POHINI
PHONE: 011-21501114

TO: NO. 6A/10A DSVI
FLAT NO. 1 FRI 12 SECTOR 21 ROHINI KHADI
MUMBAI-400066
MUMBAI, INDIA

DATE: 05-05-2023

Village : 400441 -GHC (M)
Residence Reg. No: 18084H, PHASAD MEENA
STATEMENT OF ACCOUNT FOR THE PERIOD FROM 14-02-2023 to 15-03-2023

CUST ID : 710082

CYNO No : 3000
GENDER -

1662170

1001 504207016007711

DR CASH/PAK

(SR GENERAL INR)

DATE	PARTICULARS	CHQ. NO.	WITHDRAWALS	DEPOSITS	BALANCE
02-02-2023	MAHESH KUMAR NETAJI SRINHO2047610269 UTR Number Sender Account Sender IFSC Sender Bank Sender Branch NETT AMT. MAHESH KUMAR NETAJI SRINHO2047610269 UTR Number Sender Account Sender IFSC Sender Bank Sender Branch			97.50 2,24,500.00	42.59Cr 2,24,592.50Cr
02-02-2023	ADIAL CHGS UTR Number Sender Account Sender IFSC Sender Bank Sender Branch			1,250.00	2,25,842.50Cr
02-02-2023	RTNCHG/12102022/R6452/05FTDC DRY DRC	75462234	295.00		
02-02-2023	RTNCHG/16112022/R6452/05FTDC DRY DRC	75501341	295.00		
02-02-2023	RTNCHG/22122022/R6452/05FTDC DRY DRC	76117886	295.00		
02-02-2023	RTNCHG/10032023/R6452/05FTDC DRY DRC	77812188	295.00		
02-02-2023	TK TO 19850000	7866119160	295.00		
02-02-2023	CMS TR REV		2,24,292.00		45.05Cr
02-02-2023	UPIAR/303301464063/DR/DR/PAK/YES/PRONP/204510/yb3/ UTR Number/YES/PRONP/204510/yb3/ UTR Number/YES/PRONP/204510/yb3/		1.00	2,24,292.00	2,24,338.05Cr
02-02-2023	UPIAR/303421300/DR/DR/PAK/YES/PRONP/204510/yb3/ UTR Number/YES/PRONP/204510/yb3/		1,000.00		2,24,337.05Cr
02-02-2023	UPIAR/303421300/DR/DR/PAK/YES/PRONP/204510/yb3/ UTR Number/YES/PRONP/204510/yb3/		1,000.00		2,24,337.05Cr
02-02-2023	UPIAR/303421300/DR/DR/PAK/YES/PRONP/204510/yb3/ UTR Number/YES/PRONP/204510/yb3/		1,000.00		45.05Cr
02-02-2023	UPIAR/303421300/DR/DR/PAK/YES/PRONP/204510/yb3/ UTR Number/YES/PRONP/204510/yb3/		600.00	1,000.00	1,045.05Cr
02-02-2023	UPIAR/303421300/DR/DR/PAK/YES/PRONP/204510/yb3/ UTR Number/YES/PRONP/204510/yb3/		137.00		443.05Cr
02-02-2023	UPIAR/303421300/DR/DR/PAK/YES/PRONP/204510/yb3/ UTR Number/YES/PRONP/204510/yb3/		161.00		103.05Cr
02-02-2023	UPIAR/303421300/DR/DR/PAK/YES/PRONP/204510/yb3/ UTR Number/YES/PRONP/204510/yb3/		1,000.00	2,000.00	113.05Cr
02-02-2023	UPIAR/303421300/DR/DR/PAK/YES/PRONP/204510/yb3/ UTR Number/YES/PRONP/204510/yb3/		1,000.00		2,147.05Cr
02-02-2023	UPIAR/303421300/DR/DR/PAK/YES/PRONP/204510/yb3/ UTR Number/YES/PRONP/204510/yb3/		59.00		1,097.05Cr
02-02-2023	UPIAR/303421300/DR/DR/PAK/YES/PRONP/204510/yb3/ UTR Number/YES/PRONP/204510/yb3/		260.00		897.05Cr
02-02-2023	UPIAR/303421300/DR/DR/PAK/YES/PRONP/204510/yb3/ UTR Number/YES/PRONP/204510/yb3/		200.00		634.05Cr
02-02-2023	UPIAR/303421300/DR/DR/PAK/YES/PRONP/204510/yb3/ UTR Number/YES/PRONP/204510/yb3/		300.00		934.05Cr
02-02-2023	UPIAR/303421300/DR/DR/PAK/YES/PRONP/204510/yb3/ UTR Number/YES/PRONP/204510/yb3/		6.00		942.05Cr
02-02-2023	UPIAR/303421300/DR/DR/PAK/YES/PRONP/204510/yb3/ UTR Number/YES/PRONP/204510/yb3/		100.00	1,000.00	1,100.00
02-02-2023	UPIAR/303421300/DR/DR/PAK/YES/PRONP/204510/yb3/ UTR Number/YES/PRONP/204510/yb3/		30.00		1,070.00
Cumulative Totals:			4,53,630.50	4,56,000.00	1,610.05Cr

476, Jodhpur Rd, Khandwa 491001

PAGE: 1


STATEMENT OF ACCOUNT FOR THE PERIOD FROM 14-02-2023 to 15-03-2023
UNION BANK OF INDIA
N/C : 594208016009771



DATE	PARTICULARS	CHQ. NO.	WITHDRAWALS	DEPOSITS	BALANCE
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay				
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay			600.00	1,210.05Cr
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay			30.00	1,180.05Cr
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay			20.00	1,200.05Cr
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay			80.00	1,280.05Cr
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay			20.00	1,260.05Cr
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay			33,000.00	34,360.05Cr
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay			1,451.00	33,139.05Cr
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay			2,050.00	31,089.05Cr
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay			1,000.00	30,089.05Cr
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay			500.00	29,589.05Cr
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay			19.00	29,570.05Cr
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay			20,000.00	9,570.05Cr
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay			1,026.00	8,544.05Cr
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay			35.00	8,509.05Cr
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay			30.00	8,479.05Cr
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay			300.00	8,179.05Cr
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay			100.00	8,079.05Cr
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay			5,170.00	2,909.05Cr
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay				83.99Cr
03-02-2023	UPIAR/342066179672/DR/SAKRA DR/UNIN/70113453766pay				433.99Cr

Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

(सविता प्रिया, IFS)
उप वन संरक्षक
बाहमेर

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  **Union Bank of India**

Surat Andhra  

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 14-02-2023

Agency Name.	HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED
Application No.	70154227163
MoEF/SG File No.	1(149)FOREST2022
Location.	RAJASTHAN
Address.	495/1, 2nd Floor, RPG Tower, University Road, Mangal Pandey Road, Meerut Bareilly
Amount(in Rs)	224292/-


Amount in Words: Two Lakh Twenty-Four Thousand Two Hundred and Ninety-Two Rupees Only



NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1598570164227163 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jalita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  **Union Bank of India**

Surat Andhra  

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 14-02-2023

Agency Name.	HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED
Application No.	70154227163
MoEF/SG File No.	1(149)FOREST2022
Location.	RAJASTHAN
Address:	495/1, 2nd Floor, RPG Tower, University Road, Mangal Pandey Road, Meerut Bareilly
Amount(in Rs)	224292/-


Amount in Words: Two Lakh Twenty-Four Thousand Two Hundred and Ninety-Two Rupees Only


NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1598570164227163 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jalita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcabr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank


(सविता दाहिया, IFS)
उप वन संरक्षक
बाड़मेर


Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail



राजस्थान सरकार



कार्यालय उप वन संरक्षक, बाड़मेर

Phone No.: 02982-220442

क्रमांक : एफ.()तक./उवसं/2022-23/826

E-mail : def.bmr.forest@rajasthan.gov.in

दिनांक : 02.02.2023

निमित्त

Senior Regional Manager,
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
Jodhpur retail Bhagat ki kothi Diesel Shed Road
Jodhpur

राशि मांग पत्र

प्रस्ताव का नाम व क्रमांक : Diversion of 0.1801 ha. Forest land for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage:114+570.00 to 114+605.00 on khasra No 822/506 At village-Nimbla, Tehsil Shiv, District Barmer, (Rajasthan) (PP/RJ/APPROACH/154227/2022)

- सैद्धान्तिक स्वीकृति का विवरण : राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प. 1(149)वन/2022 दिनांक 09.01.2023
- वन्यजीव स्वीकृति का विवरण :
- प्रत्यावर्तित होने वाली वनभूमि का विवरण (हे०): 0.1801 ha.

Category	Reserved Forest	Protected Forest	Un-Classed Forest	Deemed Forest	Others	Total
Area (ha)		0.1801				0.1801

- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चिह्नित भूमि का विवरण

Category	Non Forest Land	Degraded Forest Land	Total
Area (ha)		0.50	0.50

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव में जारी स्वीकृति की पालना में निम्नानुसार वर्णित राशि जमा कराने की व्यवस्था करावे एवं पालना से अवगत करावे :

स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक	अधिरोपित शर्त विवरण (स्वीकृति में अंकित शर्त का लिखें)	मांग राशि का मद	क्षेत्रफल (हे०)/संख्या/मात्रा	दर/गणना सूत्र	राशि	राशि जमा कराये जाने का मद/खाते का विवरण	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7	8
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये	NPV	0.1801 ha	Eco class-IV = 6,70,140	1,20,692	वेबपोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सजित (सविता दिहिया, IFS) ई-चालान उप वन संरक्षक द्वारा बाड़मेर	
				Duly Constituted Attorney For Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Praveen Kumar Chief Regional Manager, Petrol			

गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय वेबपोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा कराया जायेगा। जिसके उपर्युक्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई राशि धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

C.A.
(NFL)

C.A.
(DFL)

0.50

100 plants
प्रति दिवस
मजदूरी
दर
259/रु.

1,03,600

वेबपोर्टल
OSMFWP
(online
submission and
Monitoring of
forest & wild
life clearance
portal) द्वारा
सृजित
ई-चालान
द्वारा

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

(सविता सिंहवा, IFS)

उप वन संरक्षक

बाइमैर

Pravleen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

Medicinal
Plants /
dwarf
plants

Penal CA

Penal
NPV

Safety
Zone

Inner

12

प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के घातन पर होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का घातन होने पर घातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा वर्तमान को समाहित करते हुए राशि वेब पोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।

		Boundary					
		Outer boundary					
		Cost of survey, demarcation and boundary pillars					
		1.5 time safety zone DFL					
		Cost of tree cutting					
		Muck Disposal					
		Others					

इसके अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में दिये गये समस्त निर्देशों की बिन्दुवार पालना करें। साथ ही कुल राशि (120692+103600=2,24,292) उक्त राशि शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं दुसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक 11 भूतल सी. जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली 11003 के तदर्थ में वेबपोर्टल OSMPWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा जमा करवाकर पावती रसीद इस कार्यालय को प्रेषित करें।
संलग्न:- सैद्धान्तिक स्वीकृति।

संयोजक, (P&S)
उप वन संरक्षक
बाड़मेर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

भवदीय

(संजय प्रकाश भादू)
उप वन संरक्षक
बाड़मेर

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Barmer

No.F.12(12)(1)rev/2020/ 2067

Dated: 21/08/2024

To WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 (FRA" for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.1801 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd, Regional Office Jodhpur (name of user agency) for Petrol Pump (purpose for diversion of forest land) in Barmer district falls within jurisdiction of Nimbla village(s) in Sheo tehsils.

It is further certified that,

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.1801 hectares of forest area (roadside plantation area) proposed for diversion. A copy of records of all consultations and Meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha(s), sub-Division Level Committee(s) and the District Level committee are enclosed as annexure A to annexure C
- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram sabha of forest-Dwellers who eligible under the FRA;
- the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion' A copy of certificate issued by the gram sabha of GP Nimbla village(s) is enclosed as annexure A' to annexure A
- the discussion and decisions on such proposals had taken place, only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Ends.: As above.

Duly Constituted Attorney
for Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

(Nishant Jain)

District Collector, Barmer

जिला कलेक्टर, बाड़मेर

Prayeen Kumar

Chief Regional Manager-Retail

21/08/2024
2067

बैठक कार्यवाही विवरण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 0वी/राज/6/22/2015/एफ.सी./200 दिनांक 02.06.2015 एवं राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) के पत्र क्रमांक प.6(14) प्रसु/अनु-3/2008(2) दिनांक 14.03.2008 की अनुपालना में आज दिनांक 21.08.2024 को जिला कलेक्टर बाड़मेर की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति बाड़मेर की बैठक रखी गई, जिसमें वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों को विचार विमर्श हेतु बैठक में रखा गया।

क्र. सं.	नाम आवेदक	आवेदित भूमि का विवरण			
		ग्राम का नाम	खसरा संख्या	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा	प्रयोजन
1.	मुख्य महाप्रबन्धक	निम्बला	622/506	0.1001 हेक्टर	पेट्रोल पम्प
2.	एचपीसीएल जोधपुर	भाडखा	758/181	0.1687 हेक्टर	पेट्रोल पम्प
3.	मुख्य मण्डल खुदरा बिक्री प्रबन्धक, आईओसीएल जोधपुर	जरासोथिया की डाणी	326/15	0.1940 हेक्टर	पेट्रोल पम्प
4.	क्षेत्रीय प्रबन्धक-रिटेल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. जोधपुर	बालासार (क्षीरमन)	820	0.1558 हेक्टर	पेट्रोल पम्प
5.	प्रोजेक्ट हेड, व्यावर ट्रांसमिशन लि. जोधपुर	भैरुपुरा	298 590/298	0.3350 हेक्टर	विद्युत ट्रांसमिशन लाइन

प्रस्तावित वन भूमि/वन विभाग की भूमि उपयोग में लिये जाने हेतु इस जिले के संबंधित ग्राम पंचायत की प्राथमिक, उपखण्ड स्तरीय गठित कमेटी से प्राप्त बैठक कार्यवाही के विवरण के आधार पर तिये गये निर्णय अनुसार बाड़मेर जिले के अधिनस्थ वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति/समुदाय के उक्त अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार के सम्बन्ध में कोई भी अम्हावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियमों में उल्लेखित प्रावृत्ता नहीं रखता है।

प्रस्तावित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-15 (नवीन संख्या 68) के किनारों की परिदृश्यों पर स्थित भूमि है जिसे राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3(16)राज दिनांक 05.08.1978 से प्रतिबन्धित वन क्षेत्र श्रेणी में घोषित करते हुए पेड़, झाड़ियां, घास तथा अन्य वनस्पति उत्पादों को आरक्षित करते हुए काटने तथा हटाने उखाड़ने को प्रतिबन्धित किया गया है तथा उक्त भूमि संबंधित खातेदारों के खातेदारी में ही दर्ज होने से पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के प्रकरणों में इण्डियन रोड कांग्रेस के नोर्स अनुसार सड़क सीमा में आये वाली भूमि संबंधित खातेदारों द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करवाई जा चुकी है। प्रस्तावित भूमि डीम्ड वन भूमि की श्रेणी में होने से तथा लीनीयर प्रोजेक्ट के अलावा आवश्यकता होने से फार्म नं. 2 में प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।

(सविता देसा, IFS)


उप-वन संरक्षक


बाड़मेर


Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.


Chief Technical Manager-Retail


अतः उक्त प्रस्तावित जग भूमि में से उपरोक्त कार्यों हेतु जग भूमि प्रत्यावर्तन के अन्तर्गत उपरोक्त समस्त पांच प्रकारों में प्रस्तावित भूमि डीअड जग भूमि की श्रेणी में होने से (for projects other than linear projects) के लिए निर्धारित प्राकृतिक कर्षण न. 2 में जगभूमि के अनाश्रय हेतु जग क्षेत्रों में अनसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत जग विधायी (जग अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत बांझ प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।


 उप जग-संरक्षक, बाड़मेर
 (सदस्य)



 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 (सदस्य)


 अवर कलेक्टर, बाड़मेर

 21-08-21
 जिला कलेक्टर, बाड़मेर
 (अध्यक्ष)


 (सविता देवि, IFS)
 उप जग संरक्षक
 बाड़मेर

Duly Constituted Attorney
 For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.


 Praveen Kumar
 Chief Regional Manager-Retail

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी शिव, जिला बाड़मेर

राजस्थान - सरकार

उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 08.08.2023 की कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 08.08.2023 को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को रिटेल आउटलेट हेतु प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग के बीच आने वाली वन भूमि के संबंध में अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2005 (PRA) के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया।

क्रम संख्या	नाम अधिकारी / जनप्रतिनिधि मय पद	हस्ताक्षर
01	श्री गोपीकेशन पालीवाल, तहसीलदार शिव	
02	श्री धनदान देथा, विकास अधिकारी शिव	
03	श्री माखनलाल, क्षेत्रीय वन अधिकारी शिव	
04	श्रीमती लक्ष्मी देवी प. स. सदस्य वार्ड संख्या 10 शिव	
05	श्री लक्ष्मी देवी प. स. सदस्य वार्ड संख्या 17 शिव	

समिति की बैठक में अद्योहस्ताक्षरकर्ता (उपखण्ड अधिकारी शिव) द्वारा प्रस्ताव रखा कि ग्राम नीम्बला के खसरा नम्बर 822/506 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को रिटेल आउटलेट हेतु प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग के बीच आने वाली वन भूमि के संबंध में उक्त बैठक का आयोजन किया गया है। इस प्रस्ताव पर समिति ने गहनता से विचार कर इस तथ्य की सहमति दी कि प्रस्तावित भूमि ग्राम नीम्बला के खसरा संख्या 822/506 रकबा 0.1619 हैक्टेयर खातेदार डॉ. वासुदेव चावला पुत्र नत्थूराम चावला जाति खटीक सा 0 भवानीनगर खटीकों का मोहल्ला चुरु के नाम दर्ज है। उक्त भूमि के आसपास कोई वन भूमि दर्ज नहीं है व इसके आसपास अनुसूचित जनजाति व पारंपरिक वन निवासी जातियां निवास नहीं करती है। उक्त 0.1619 हैक्टेयर भूमि पेट्रोल पम्प के लिए प्रस्तावित है। उक्त स्थल के बीच मार्गाधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की जा चुकी है। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प खसरा नम्बर 822/506 रकबा 0.1619 हैक्टेयर रिटेल आउटलेट के लिए आने व जाने के लिए उपयोग में आने वाली भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उक्त भूमि पर वनाधिकारी का कोई दावा लंबित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है एवं आदिम जनजाति समूह (PTG) एवं पूर्व कृषि समुदाय (PAC) प्रभावित नहीं हो रही है। प्रार्थी की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। अतः इस प्रस्ताव को सहमति के साथ श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, बाड़मेर को भेजा जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

Condition No. 01

Full title of the Project : "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)"

Proposal No : FP/R/Approach/154227/2022


Date of Proposal : 07-04-2022

Proposed Diversion Area : 0.1801 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer(Rajasthan)" के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jodhpur


(सविता दाहिया, H-S)
उप वन संरक्षक
बाड़मेर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.


Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No. 02

Full title of the Project : "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)"

Proposal No : FP/R)/Approach/154227/2022


Date of Proposal : 07-04-2022

Proposed Diversion Area : 0.1801 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village-Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)" के दौरान प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jodhpur


(सविता शर्मा, IFS)
उप वन संरक्षक
बाड़मेर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.


Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No. 03

Full title of the Project : "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/154227/2022

Date of Proposal : 07-04-2022


Proposed Diversion Area : 0.1801 Ha.

UNDERTAKING


प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)" के दौरान याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jodhpur

Date:


(सुशिल चहिया, IFS)
उप वन संरक्षक
बाड़मेर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.


Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Condition No. 04

Full title of the Project : "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/154227/2022

Date of Proposal : 07-04-2022

Proposed Diverslon Area : 0.1801 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village-Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)" के दौरान प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगें। इस हेतु कम्पनी बचनबद्ध है।

Place: Jodhpur

(सविता देविया, IFS)
उप वन संरक्षक
बाड़मेर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Prayesh Kumar
Chief Regional Manager-Retail

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Condition No. 05

Full title of the Project : "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/154227/2022


Date of Proposal : 07-04-2022

Proposed Diversion Area : 0.1801 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village-Nimbla, Tehsil-Shiv & District - Barmer (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/कनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jodhpur


प्रवेण कुमार, (निदेशक)
उप-अध्यक्ष (परिचालन)
जोधपुर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.


Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Condition No. 06

Full title of the Project : "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)"

Proposal No : FP/R]/Approach/154227/2022

Date of Proposal : 07-04-2022

Proposed Diversion Area : 0.1801 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jodhpur

(सखिता देविया, IFS)
उप वन संरक्षक
बाड़मेर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Condition No. 07

Full title of the Project : "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/154227/2022


Date of Proposal : 07-04-2022

Proposed Diversion Area : 0.1801 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jodhpur


(सविता दाहिया, IFS)
उप वन संरक्षक
बाड़मेर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.


Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Condition No. 8

Full title of the Project : "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)"

Proposal No : FP/Rj/Approach/154227/2022


Date of Proposal : 07-04-2022

Proposed Diversion Area : 0.1801 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator is land) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jodhpur


(सिविला इंजीनियर, IFS)
उप वन संरक्षक
बाड़मेर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.


Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No.09

Full title of the Project : "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/154227/2022


Date of Proposal : 07-04-2022

Proposed Diversion Area : 0.1801 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer(Rajasthan)" हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न कर प्रस्तुत है। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jodhpur


(प्रवीण कुमार, ई.ई.ओ.)
उप-अधीक्षक
राजस्थान

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.


Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Condition No.10

Full title of the Project : "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/154227/2022


Date of Proposal : 07-04-2022

Proposed Diversion Area : 0.1801 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)" हेतु प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रमाण पत्र सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ संलग्न कर प्रस्तुत है। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jodhpur


(सुशिला वर्मा, IFS)
उप वन संरक्षक
बाड़मेर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.


Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Rajasthan State Pollution Control Board

Regional office, Rajasthan state pollution control Board, Jas
phanta, Opp. JDVVNL office, Jasol Road Balotra, District - Barmer

Registered



ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION FOR CONSENT UNDER THE WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974 AND THE AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981 FOR SMALL SCALE / TINY INDUSTRIES UNDER GREEN CATEGORY UPTO AN INVESTMENT OF RS. 5.00 CRORES.

File No : F(Tech)/Barmer(Shiv)/2(1)/2022-2023/85-86

Order No : 2022-2023/Balotra/9123

From :

Date : 12/04/2022

Regional Officer [Balotra]

Rajasthan State Pollution Control Board,

Regional office, Rajasthan state pollution control Board, Jasol phanta, Opp. JDVVNL office, Jasol Road
Balotra, District - Barmer.

To,

M/s M/S SMT. VINOD FILLING STATION (HPCL) (Unit ID: 118953)

KH.NO. 822/506, NEAR VILLAGE NIMBLA TEHSIL SHIV DIST BARMER, NIMBLA Tehsil, Shiv
District: Barmer


I / We hereby acknowledge the receipt, in this office, on 06/04/2022 of your application dated 06/04/2022 for Consent to Establish for (project / process / activity name) MS SMT. VINOD FILLING STATION (HPCL) under section of 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 having capital cost of the project Rs. 39.50 Lacs duly filled in and accompanied by prescribed fee Rs. 3,000.00 and requisite documents.

This acknowledgement of the consent application shall be treated as Consent to Establish, of the State Board, under section of 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, to Consent to Establish your industry at KHNO 822/506, NEAR VILLAGE NIMBLA TEHSIL SHIV DIST BARMER NIMBLA Tehsil: Shiv District: Barmer and there would be no need for the industry to obtain periodical renewal of consent, till such time the unit modifies / changes its processes provided that -

1. The acknowledgement shall be subject to the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Environment (Protection) Act, 1986.
2. This acknowledgement will not be used as an evidence for ascertaining the land title and its use.
3. The acknowledgement is from the point of view of control of pollution, and does not absolve the unit from making compliance of the other statutory obligations, prescribed under any other law or instrument, for the time being in force and the directions passed by the Hon'ble Courts.
4. The State Board shall have the right to conduct random checks or call information from the unit and make a formal consent order prescribing conditions etc., as required.
5. The Industry falls under Green Category - Automobile fuel outlet (only dispensing) having adequate arrangements for vapor collection during dispensing as per Head Office Order No. F.14(23) Policy/RPCB/Plg./153-189 dated 02/06/2020.

Specific Condition :

- 1 a) That this acknowledgement is being issued for automobile fuel outlet at khasra no. 822/506, Vil-Nimbta, Tehsil- Shik & Dist. - Barmer for land has been converted by the office of district collector, Barmer vide letter No. 2645 dated 06/04/2021.
 - b) That this acknowledgement is being for automobile fuel dispensing out with capacity Petrol-240 KL/Annum, Diesel-295 KL/Annum & Lubricant oil-5 KL/Annum.
 - c) That proponent shall comply with the guidelines issued by CPCB for setting up new petrol pumps issued vide dated 07/01/2020 & subsequent office memorandum dated 16/08/2021.
 - d) That proponent shall get the permission from PESO.
 - e) That proponent shall apply for authorization under HWM Rules 2016.
 - f) That proponent shall provide the adequate arrangement for vapor collection during dispensing.
 - g) That proponent shall establish/operate the fuel outlet only after ensuring the complete compliance of CPCB guidelines.
 - h) That D.G.SET of capacity 15 KVA shall be there with acoustically enclosed and should have the adequate stack height.
 - i) That capital investment of the project shall not exceeds Rs. 39.50 Lacs. If at any stage any variation in capital investment is observe, than proponent shall pay the applicable fee as per fee notification.
 - j) That total fresh water consumption shall not exceed 0.5 KLD (for domestic purposes).
 - k) That proponent shall dispose the domestic waste water through septic tank followed by soak pit. No discharge of treated/untreated domestic/trade effluent shall be there and unit shall maintain the zero liquid discharge status inside/outside the plant premises.
 - l) That proponent shall not dig borewell and or abstract the ground water without prior permission from the competent authority.
 - m) That proponent shall comply with the prescribed standards as defined by the MoEF&CC time to time.
 - n) That proponent shall develop tree plantation in 33 % of total plot area to maintain air quality around the unit.
 - o) That the unit shall not dispose off waste material outside the premises.
 - p) That the acknowledgement is valid subject to fulfillment of all the other statutory requirements in other Laws/Acts/Rules as applicable.
 - q) That proponent shall obtain the necessary permission from the other departments/authorities in concern if industry activity falls/comes under such area/ purview or scope of such departments/ authorities in concern from time to time. The sole responsibility of obtaining the permission from the departments/authorities in concern is of project proponent. The project proponent shall ensure the operation/establishment of the unit only after obtaining the permission from the departments/authorities in concern (if applicable)
 - r) That this acknowledgement shall cease to be valid in case of any change in product/process/operation/raw material/ capacity/ area or in information/ document submitted/uploaded at the time of seeking consent.
 - s) Any wrong or partial information/ concealment of facts or deviation from material facts shall make this consent null & void.
 - t) That this acknowledgement is being issued on the basis of documents/ information uploaded/submitted by the applicant/ industry/ process/ project proponent. The liability of veracity and correctness of the uploaded/submitted document/ information shall solely be of the applicant only.
- 2 That this acknowledgement is not evidence for ascertaining entitlement of land.


(सविता शर्मा, पी.एस.)
उप वन संरक्षक
बाधमेर

This acknowledgement is in accordance with the directions issued by the Central Pollution Control Board vide letter no. B - 29014/1/90/PCI - I/17793 dated 21-10-1992.

Copy To :

Regional Officer[Balotra]

1 Master File.

Regional Officer[Balotra]

सचिव
उपवन संरक्षण
रा. बाड़मेर





Rajasthan State Pollution Control Board

Regional office, Rajasthan state pollution control Board, Jasol phanta, Opp. JDVVNL office, Jasol Road Balotra, District - Barmer



Registered

ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION FOR CONSENT UNDER THE WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974 AND THE AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981 FOR SMALL SCALE / TINY INDUSTRIES UNDER GREEN CATEGORY UPTO AN INVESTMENT OF RS. 5.00 CRORES.

File No : F(Tech)/Barmer(Shiv)/2(1)/2022-2023/87-88.

Order No : 2022-2023/Balotra/9124

From :

Date : 12/04/2022

Regional Officer[Balotra]

Rajasthan State Pollution Control Board,

Regional office, Rajasthan state pollution control Board, Jasol phanta, Opp. JDVVNL office, Jasol Road Balotra, District - Barmer.

To,

M/s M/S SMT. VINOD FILLING STATION (HPCL) (Unit ID: 118953)

KH. NO. 822/506, NEAR VILLAGE NIMBLA TEHSIL SHIV DIST BARMER, NIMBLA Tehsil: Shiv District: Barmer

I / We hereby acknowledge the receipt, in this office, on 28/03/2022 of your application dated 28/03/2022 for Consent to Establish for (project / process / activity name) MS SMT. VINOD FILLING STATION (HPCL) under section of 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 having capital cost of the project Rs. 39.50 Lacs duly filled in and accompanied by prescribed fee Rs. 3,000.00 and requisite documents.

This acknowledgement of the consent application shall be treated as Consent to Establish, of the State Board, under section of 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 to Consent to Establish your industry at KHNO 822/506, NEAR VILLAGE NIMBLA TEHSIL SHIV DIST BARMER NIMBLA Tehsil: Shiv District: Barmer and there would be no need for the industry to obtain periodical renewal of consent, till such time the unit modifies / changes its processes provided that -


1. The acknowledgement shall be subject to the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Environment (Protection) Act, 1986.
2. This acknowledgement will not be used as an evidence for ascertaining the land title and its use.
3. The acknowledgement is from the point of view of control of pollution, and does not absolve the unit from making compliance of the other statutory obligations, prescribed under any other law or instrument, for the time being in force and the directions passed by the Hon'ble Courts.
4. The State Board shall have the right to conduct random checks or call information from the unit and make a formal consent order prescribing conditions etc., as required.
5. The industry falls under Green Category - Automobile fuel outlet (only dispensing) having adequate arrangements for vapor collection during dispensing as per Head Office Order No. F.14(23) Policy/RPCB/Plg./153-189 dated 02/06/2020.

(सविता शिव)
 उप खन संरक्षक
 बाड़मेर



Specific Condition :

- 1 a) That this acknowledgement is being issued for automobile fuel outlet at khasra no. 822/506, Vit-Nimbla, Tehsil- Shjv & Dist.- Barmer for land has been converted by the office of district collector, Barmer vide letter No. 2545 dated 06/04/2021.
 - b) That this acknowledgement is being for automobile fuel dispensing out with capacity Petrol-240 KL/Annum, Diesel-295 KL/Annum & Lubricant oil-5 KL/Annum.
 - c) That proponent shall comply with the guidelines issued by CPCB for setting up new petrol pumps issued vide dated 07/01/2020 & subsequent office memorandum dated 16/08/2021.
 - d) That proponent shall get the permission from PESO.
 - e) That proponent shall apply for authorization under HWM Rules 2016.
 - f) That proponent shall provide the adequate arrangement for vapor collection during dispensing.
 - g) That proponent shall establish/operate the fuel outlet only after ensuring the complete compliance of CPCB guidelines.
 - h) That D.G.SET of capacity 15 KVA shall be there with acoustically enclosed and should have the adequate stack height.
 - i) That capital investment of the project shall not exceeds Rs. 30.50 Lacs. If at any stage any variation in capital investment is observe, than proponent shall pay the applicable fee as per fee notification.
 - j) That total fresh water consumption shall not exceed 0.5 KLD (for domestic purposes).
 - k) That proponent shall dispose the domestic waste water through septic tank followed by soak pit. No discharge of treated/untreated domestic/trade effluent shall be there and unit shall maintain the zero liquid discharge status inside/outside the plant premises.
 - l) That proponent shall not dig borewell and or abstract the ground water without prior permission from the competent authority.
 - m) That proponent shall comply with the prescribed standards as defined by the MoEF & CC time to time.
 - n) That proponent shall develop tree plantation in 33 % of total plot area to maintain air quality around the unit.
 - o) That the unit shall not dispose off waste material outside the premises.
 - p) That the acknowledgement is valid subject to fulfillment of all the other statutory requirements in other Laws/Acts/Rules as applicable.
 - q) That proponent shall obtain the necessary permission from the other departments/authorities in concern if industry activity falls/comes under such area/ purview or scope of such departments/ authorities in concern from time to time. The sole responsibility of obtaining the permission from the departments/authorities in concern is of project proponent. The project proponent shall ensure the operation/establishment of the unit only after obtaining the permission from the departments/authorities in concern (if applicable)
 - r) That this acknowledgement shall cease to be valid in case of any change in product/process/operation/raw material/ capacity/ area or in information/ document submitted/uploaded at the time of seeking consent.
 - s) Any wrong or partial information/ concealment of facts or deviation from material facts shall make this consent null & void.
 - t) That this acknowledgement is being issued on the basis of documents/ information uploaded/submitted by the applicant/ industry/ process/ project proponent. The liability of veracity and correctness of the uploaded/submitted document/ information shall solely be of the applicant only.
- 2 That this acknowledgement is not evidence for ascertaining entitlement of land.


(सविता दाहिया, IFS)


उप वन संरक्षक
बाक्षमेर /

This acknowledgement is in accordance with the directions issued by the Central Pollution Control Board vide letter no. B - 29014/1/90/PCI - I/17793 dated 21-10-1992.

Copy To :

1. Master File.

Regional Officer [Balotra]


(सविता शर्मा, IAS)
उप वन संरक्षक
बाड़मेर

Regional Officer [Balotra]



Condition No.11

Full title of the Project : "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/154227/2022

Date of Proposal : 07-04-2022

Proposed Diversion Area : 0.1801 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)" के दौरान वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jodhpur

(सविता दाहिया, IFS)
उप वन संरक्षक
श. बाड़मेर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Condition No.12

Full title of the Project : "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/154227/2022


Date of Proposal : 07-04-2022

Proposed Diversion Area : 0.1801 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का घातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का घातन होने पर घातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा राशि रु.1,03,600/- (अक्षरे रुपये एक लाख तीन हजार छःसौ मात्र) CHEQUE: 33338158, PIF NO. 1508570124227163, DATE: 23.02.2023 द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jodhpur


(सविता दाहिया, IFS)
सुप वन संरक्षक
बाड़मेर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.


Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No. 13

Full title of the Project : "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/154227/2022


Date of Proposal : 07-04-2022

Proposed Diversion Area : 0.1801 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा राशि **रु.1,20,692/-** (अक्षरे रूपये एक लाख बीस हजार छःसौ बानवें मात्र) **CHEQUE: 33338158, PIF NO. 1508570124227163, DATE: 23.02.2023** कैम्पा फण्ड नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये हैं, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jodhpur


(सविता कहेया, IFS)
उप वन संरक्षक
बाड़मेर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.


Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Condition No. 14

Full title of the Project : "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/154227/2022


Date of Proposal : 07-04-2022

Proposed Diversion Area : 0.1801 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jodhpur


(सविता दाहिया, IFS)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd


(Praveen Kumar)
Chief Registrar (Approach-Retail)

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Condition No. 15

Full title of the Project : "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/154227/2022


Date of Proposal : 07-04-2022

Proposed Diversion Area : 0.1801 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jodhpur


(सविता शर्मा, IFS)
उप वन संरक्षक
बाडमेर

Duty Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.


Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Condition No. 16

Full title of the Project : "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/154227/2022


Date of Proposal : 07-04-2022

Proposed Diversion Area : 0.1801 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Shiv-Nimbla Road NH-68 (Old NH-15) LHS on Chainage 114+570.00 to 114+605.00 on Khasra No 822/506 At Village Nimbla, Tehsil -Shiv & District - Barmer (Rajasthan)" हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jodhpur


(सविता दाहिया, IFS)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation


Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Ret.

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:



डॉ. शशि कुमार सिंह और डॉ. राजेश कुमार सिंह ने आज का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया।

डॉ. शशि कुमार सिंह और डॉ. राजेश कुमार सिंह ने आज का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया।
आवेदन तिथि बढ़ा दी जा रही है।

आवेदन तिथि बढ़ा दी जा रही है।
आवेदन तिथि बढ़ा दी जा रही है।

परिषद् में हंगामे के बीच करोड़ों का बजट पारित



परिषद् में बजट पारित करने के दौरान डॉ. शशि कुमार सिंह ने भाषण दिया।

आज की बैठक में परिषद् ने करोड़ों का बजट पारित किया।
परिषद् में हंगामे के बीच करोड़ों का बजट पारित किया।

आज की बैठक में परिषद् ने करोड़ों का बजट पारित किया।
परिषद् में हंगामे के बीच करोड़ों का बजट पारित किया।

परिषद् में हंगामे के बीच करोड़ों का बजट पारित किया।
परिषद् में हंगामे के बीच करोड़ों का बजट पारित किया।

परिषद् में हंगामे के बीच करोड़ों का बजट पारित किया।
परिषद् में हंगामे के बीच करोड़ों का बजट पारित किया।

MANAJURAJ FINANCE LTD.
वित्तीय बजट
वित्तीय बजट पारित करने के बाद परिषद् ने अन्य निर्णयों पर चर्चा की।
वित्तीय बजट पारित करने के बाद परिषद् ने अन्य निर्णयों पर चर्चा की।

प्रेस
आज की बैठक में परिषद् ने करोड़ों का बजट पारित किया।
परिषद् में हंगामे के बीच करोड़ों का बजट पारित किया।

आरती का साथ कहने से धड़के प्रतिपक्ष नेता
प्रतिपक्ष ने आरती का साथ कहने से धड़के प्रतिपक्ष नेता।
प्रतिपक्ष ने आरती का साथ कहने से धड़के प्रतिपक्ष नेता।